संख्या-398/2024/490 पी/24-27-सिं0-4/001-203(डब्ल्यू)परि0/2023

प्रेषक,

अमित प्रणव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:** 16 **जुलाई, 2024**

विषय: जनपद बलिया में स्थित दोहरीघाट मुख्य नहर के किमी0 46.850, रतसर राजवाहा के किमी0 2.200 एवं 3.100 पन्दह राजवाहा के किमी0 14.100 विशुनपुरा माइनर के किमी0 8.00 एवं 10.250 मिठवार माइनर के किमी0 0.800 एवं बनरही माइनर के किमी0 5.00 पर बी0आर0वी के स्थान पर बाक्स कल्वर्ट के निर्माण की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-928/1271/परियोजना/कैम्प/बजट, दिनांक 26 जून, 2024 एवं शासनादेश संख्या-25/2024/530 पी/23-27-सिं0-4/001-203(डब्ल्यू)परि0/2023, दिनांक 03 फरवरी, 2024 द्वारा निर्गत की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक अनुमान में अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक 4701-08-051-10-14-24 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 191.72 लाख के सापेक्ष प्रस्तावित धनराशि रू0 188.32 लाख (रुपये एक करोड़ अट्ठासी लाख बत्तीस हजार मात्र) परियोजना के अवशेष कार्यों पर व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध एवं शर्ते यथावत रहेंगे।
2. प्रश्नगत परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं ससमय पूर्ण कराया जाना मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **1,88,32,000 (** रुपये एक करोड़ अट्ठासी लाख बत्तीस हजार मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष **2024-25** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **094** लेखा शीर्षक **4701080511014** सम्बद्ध कार्य मानक मद **46** कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या - **1/2024/**बी-**1-294/**दस-**2024-231/2024,** दिनाँक- **04-**मार्च**, 2024** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अमित प्रणव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-398/2024/ 490 पी (I)/24-27-सिं0-4/001-203(डब्ल्यू)परि0/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पूर्व), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर ।

7- मुख्य अभियन्ता (गण्डक), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर।

8- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

9- मुख्य कोषाधिकारी, बलिया।

10- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8

11- नियोजन अनुभाग-3

12- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9

13- अनु सचिव (लेखा), नोडल, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, शासन।

14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
वी0एन0 तिवारी
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in